

प्रेषक,

अशोक कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 02 फरवरी 2016

विषय:- जनपद हाथरस में मथुरा-सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0-102) किमी0 44.250 की बांयी पटरी पर ग्राम सादाबाद के खसरा संख्या-10/2, 11/2 में एस्सार ऑयल लि द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0579 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-1322/हाथरस/13846/युपी/103/2015, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हाथरस में मथुरा- सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0-102) किमी0 44.250 की बांयी पटरी पर ग्राम सादाबाद के खसरा संख्या-10/2, 11/2 में एस्सार ऑयल लि द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0579 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनताम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शारान सहमत हैं।

2- अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के तहत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्नक:- यथोपरि।


भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-पी-107(1)/14-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 3- जिलाधिकारी हाथरस।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
- 5- प्रभागीय प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि0 ए-5, से0-3 नोएडा।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मूनेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।